भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2237**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक की जबरन बिक्री**

**2237. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक कंपनियां यूरिया और डीएपी के साथ-साथ विभिन्न अन्य उत्पाद भी विक्रेताओं को जबरदस्ती सौंप देती हैं जो गोदामों में पड़े रहते हैं जिससे व्यापारियों को नुकसान होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को उक्त समस्या के समाधान के लिए जन प्रतिनिधियों तथा विक्रेताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क) से (घ):** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को कालाबाजारी/अधिक मूल्य-निर्धारण में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी/अधिक मूल्य-निर्धारण के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार** को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है।

इसके अलावा, उर्वरक विभाग उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों को टैग/बंडल करने को हतोत्साहित करता है। इस संबंध में, राज्य सरकारों को टैगिंग को रोकने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए नियमित रूप से अर्ध शासकीय पत्र लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उर्वरक कंपनियों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त न होने के लिए उपयुक्त निर्देश दिए गए हैं।

*******